झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–355 वर्ष 2017

सफीक शेख, नसरूद्दीन शेख के पुत्र, निवासी ग्राम–बैरिया दामार, डाकघर एवं थाना–दंडाई, जिला–गढ़वा .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य
2.. उपायुक्त गढ़वा
3. अनुमण्डल अधिकारी, गढ़वा
4. जिला आपूर्ति अधिकारी, गढ़वा .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताव के0 गुप्ता**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री संजय कुमार तिवारी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– श्रीमती अमृता कुमारी, एस0सी0–I के जे0सी0

03 / दिनांक : 19वीं जुलाई, 2017

यह रिट एप्लिकेशन ज्ञाप सं0 382 दिनांक 12ण्08ण्2016 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो कि याचिकाकर्त्ता की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकान के लाइसेंस को निलंबित करने का आदेश अनुमण्डल अधिकारी, गढ़वा द्वारा पारित किया गया है।

2. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञप्ति एकीकरण) आदेश, 1984 के खण्ड 11 (2) के संदर्भ में निलंबन केवल 90 दिनों की अवधि के लिए हो सकता है। यह कि आज तक याचिकाकर्त्ता का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है और याचिकाकर्त्ता को अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकान चलाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। विद्वान अधिवक्ता ने इस अदालत के 2008 (3) जेसीआर 204 (झार) में रिपोर्ट किए गए निर्णय पर भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि लाइसेंस अनिश्चित काल के लिए निलंबित नहीं रह सकता है और केवल एक आपराधिक मामले के लंबित रहने से लाइसेंस को नब्बे (90) दिनों की अवधि से पर निलंबित करने का आधार नहीं हो सकता है जैसे कि अधिनियम के खण्ड 11 (2) में निर्धारित किया गया है।

3. प्रतिवादी/राज्य को प्रति शपथपत्र दायर करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है और न ही काउंटर हलफनामा दायर किया गया है। प्रतिवादी/राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञप्ति एकीकरण) आदेश, 1984 के नियम 28 के तहत, याचिकाकर्त्ता के पास आदेश के खिलाफ कलेक्टर के समक्ष अपील करने का एक वैकल्पिक उपाय है, जो कलेक्टर से नीचे रैंक के अधिकारी द्वारा पारित है, इसलिए वर्तमान रिट आवेदन कायम नहीं है।

4. सुना। बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञप्ति एकीकरण) आदेश, 1984 के तहत, लाइसेंस धारा 3 के तहत दिया जाता है और लाइसेंस का निरसन, रद्दीकरण और निलंबन खण्ड 11 के तहत निर्धारित है। क्लॉज 11 के संदर्भ में लाइसेंस रद्द करने के

लिए कार्यवाही की गई है, को दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर काई सामग्री नहीं लाई गई है। इस प्रकार राज्य से आने वाले किसी भी निर्देश के अभाव में उत्तरदाताओं के लिए नब्बे (90) दिनों की अवधि से परे निलंबन के तहत लाइसेंस रखने का कोई औचित्य नहीं है, केवल आपराधिक मामले की पेंडेंसी के कारण जब काई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं लाई गई है कि लाइसेंस रद्द करने की कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है। जाहिर है कि निलंबन का आदेश अपनी बल खो चुका है।

याचिकाकर्त्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकान चलाने की अनुमति देने के मामले में उचित प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अदालत ने मामले की योग्यता पर काई विचार या राय व्यक्त नहीं की है और उत्तरदाता बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञप्ति एकीकरण) आदेश, 1984 के खण्ड 11 (2) के संदर्भ में मामले में कोई उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

5. उक्त निर्देश के साथ रिट आवेदन की अनुमति दी जाती है।

(अमिताव के0 गुप्ता, न्याया0)